राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2018/00037 बअनवान लाखाराम वगैरा बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकुलाय को सुनने के पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12, 14 सीपीसी खारिज किया जाकर उपस्थित वकुलाय की मूल प्रार्थना पत्र धारा 136 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 16 की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उल्लेखित आपत्तियों एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है कि प्रार्थीगण ने ग्राम बाली के हाल खसरा नंबर 2139 रकबा 0.1500 हैक्टर से अप्रार्थीगण का नाम विलोपित किये जाने के साथ दुरस्ती के जरिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का रकबा 3.53 हैक्टर की जगह 3.84 हैक्टर दर्ज किये जाने की मांग की गई है परंतु रिकॉर्ड से यह साबित है कि उक्त भूमि भू–प्रबंध से पूर्व प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होकर उनके पूर्वज सरूपा वल्द काना, भगवाना वल्द हटा, सूरता वल्द टीकम, वीरा वल्द हटा कौम रेबारी साकिन ढंड की ढाणी बाली के नाम की रही है। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही नहीं की गई एवं अब वर्तमान में प्रार्थीगण के द्वारा इन्द्राज दुरस्ती के आधार पर अप्रार्थीगण का नाम खसरा नंबर 2139 रकबा 0.15 हैक्टर से विलोपन की मांग के साथ प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 3.84 हैक्टर दर्ज किये जाने की मांग की गई। इस प्रकार प्रार्थीगण का अनुतोष धारा 136 के तहत दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण नियमित घोषणात्मक वाद के जरिये ही अपने खातेदारी हकूक प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियों को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गवर्न नहीं होने से प्राथमिक आपत्तियां स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) 1/9/25 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner